



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65742

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 9359 वर्ष 2026

मोहम्मद अमान

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : सौरभ कुमार

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ कुमार, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार त्रिपाठी और राज्य-प्रत्यर्थियों के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री वी.पी. सिंह को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।
2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत आवेदन आवेदक मोहम्मद अमान की ओर से थाना रेलवे रोड, जिला मेरठ में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 05 वर्ष 2026, धारा 352, 351(3), 75(2), 308(2) बी.एन.एस. और धारा 76-ख आई.टी. अधिनियम और धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उनके द्वारा यह दलील दी गई कि दोषसिद्धि होने पर अधिकतम सजा 7 वर्ष की हो सकती है और आवेदक 20.01.2026 से जेल में बंद है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि विवेचना के दौरान कोई भी अश्लील चैट बरामद नहीं हुई है। आवेदक का

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और प्राथमिकी के अनुसार आवेदक पर पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया गया है।

4. दूसरी ओर, प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक ने पीड़िता की एक फर्जी आईडी बनाई थी और अश्लील चैटिंग में लिप्त रहा और जिसे बाद में वायरल करने की बात कही गई है। हालांकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने भी जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और कहा है कि उनके निर्देशों के अनुसार कोई अश्लील चैट नहीं पाई गई है, केवल कुछ अभद्र चैट पाए जाने की बात कही गई है। आवेदक 20.01.2026 से जेल में बंद है और प्राथमिकी के अनुसार आवेदक द्वारा पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने की बात कही गई है तथा आवेदक एवं पीड़िता के बीच कुछ अभद्र चैट पाए गए हैं।

5. आवेदक 20.01.2026 से जेल में बंद है और दोषसिद्धि पर अधिकतम सजा 7 वर्ष है। यह कहा गया है कि विवेचना के दौरान कोई अश्लील चैट बरामद नहीं हुई है। इसके अतिरिक्त यह कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और एफआईआर के अनुसार, आवेदक पर पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है। आवेदक किसी भी तरह से पीड़िता से संपर्क नहीं करेगा और न ही उसे डराएगा या धमकाएगा।

6. तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से प्रतिबिंबित साक्ष्यों पर विचार करने के बाद तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त केस क्राइम में शामिल आवेदक- **मोहम्मद अमान** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो जमानतें प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को बताने से विमुख हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/धमकाएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने वकील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

8. उपरोक्त में से किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निस्तारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे मामले के गुण-दोष पर किसी अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होगा।

26 मार्च, 2026

आशीष/-

(माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।